Research Journal of Language, Literature and Humanities E-ISSN 2348-6252
Vol. **8(2),** 21-31, May **(2021)** *Res. J. Lang. Lit. Humanities*

सहरिया जनजाति के सशक्तिकरण में मनरेगा की प्रभावशीलता

अंजना गुप्ता
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, म.प्र., भारत
anjanagupta36@gmail.com

Available online at: www.isca.in, www.isca.me
Received 19th August 2020, revised 11th December 2020, accepted 2nd January 2021

शोध सार

भारत में, मनरेगा (MGNREGS) एक महत्वपूर्ण और गरीबी विरोधी कार्यक्रम है। मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को पूरक रोजगार प्रदान करने के अलावा, वित्तीय समावेशन और स्वतंत्रता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने और आजीविका सुरक्षा प्रदान करने, नागरिक भागीदारी को मजबूत करने, ग्रामीण परिदृश्य में परिवर्तन लाने के साथ-साथ विशेष रूप से वंचित वर्ग (जनजातीय समुदाय) में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि जनजातीय समुदाय जो कि अपनी बुनियादी आवश्यकता से दूर हैं और हाशिए पर पड़े हैं, वे लोग इस योजना के तहत काम कर रहे हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे, बहुत कम आय के साथ और अपने जीवन उत्थान के लिए बिना किसी रचनात्मक अवसरों के रह रहे हैं। इस अध्ययन के माध्यम से ग्रामीण जनजाति समुदाय में इस योजना के प्रभाव को उजागर करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तावित लेख में सहरिया जनजाति के सशक्तिकरण में, पलायन को रोकने, गरीबी उन्मूलन के लिए सृजित रोजगार में मनरेगा योजना के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन से ग्रामीण सहरिया जनजातियों के विकास को सुगम बनाने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी।

शब्द कुंजियां: MGNREGS, सहरिया जनजाति, गरीबी, रोजगार, सशक्तिकरण।

प्रस्तावना

भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ अनेक जातियाँ, जनजातियाँ, अनेक धर्मों और भिन्न भाषायें बोलने वाले समूह निवास करते है। यहाँ कुछ ऐसे मानव-समूह है जो आज भी सभ्यता तथा संस्कृति से अपरिचित है, तथा सभ्य समाजों से दूर जंगल, पहाड़ों अथवा पठारी क्षेत्रों मे निवास करते हैं। इन्ही समूहों को जनजाति, आदिवासी, वन्य-जाति, आदिम समुदाय आदि नामों से जाना जाता है। भारत में, जहाँ एक सामान्य जाति व्यवस्था पायी जाती है, वहां भारत की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जातियां(SC) 16.6 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति(ST) 8.6 प्रतिशत निवास करती हैं, और ये दोनों ही समूह ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं। 1850 के बाद से अनुसूचित जनजाति समुदायों को अवसादग्रस्त वर्ग या एक आदिवासी) मूल निवासी (के रूप में जाना जाता है[1]। हमारे जनजातीय समुदाय सामाजिक-आर्थिक रूप से काफी दयनीय हैं। जैसे सहरिया जनजाति की स्थिति को देखने पर पता चलता है कि वो अपनी आधारभूत जरूरतों को ही पूरा कर पाने में ही अक्षम हैं। खाने ,पीने ,एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक पहुँच अभी उनसे कोसों दूर है। उनके पास जीवन निर्वाह का कोई स्थायी साधन नहीं है। उनकी आय इतनी भी नहीं है कि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उनके लिए बचत करना तो दूर की बात है। उनकी कमजोरी अशिक्षित होना है अतः वो उच्च उपभोग के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो फिर उनका विकास एवं जीवन-स्तर में परिवर्तन एक सुन्दर सपना है। भूखमरी, अशिक्षा, गरीबी, कर्ज, पलायन, जाति-उत्पीड़न, खराब-स्वास्थ्य ,विलुप्त होती प्रजातियाँ ,लड़कियों की बिक्री, जैसी अनगिनत समस्याओं से घिरा यह समुदाय, अपनी तकदीर बदलने के सपने संजोए सरकार और समाज की ओर टकटकी लगाये हुए है। भारतीय संविधान में आर्थिक रूप से बेहद कमजोर और जटिल सामाजिक संरचना वाली जातियों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है।

स्वतंत्रता के उपरांत, सबसे ज्यादा हाशिये पर रहने वाले समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रावधान किये गये। संविधान में जनजातियों को सुरक्षात्मक तथा विकासात्मक दोनों प्रकार की विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई है। जनजातियों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने तथा अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि वे अपने सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक स्तर को उँचा कर सके तथा अपनी संस्कृति को बनाए रखकर देश की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर देश के विकास में अपना योगदान दे सके। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में जनजातियों को अन्य नागरिकों के समान ही नागरिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए है। इसके अलावा जनजातीय समुदाय के सदस्य के रूप में उन्हें कुछ विशिष्ट अधिकार देकर उनके संरक्षण एवं विकास के प्रावधान किए गए हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनजातीय आबादी कुल आबादी का 8.6% है, जो 10.43 करोड़ है। उनमें से जिसमें 9 करोड़ 38 लाख (90%) गांवों में और 1 करोड़ 4 लाख 61 हजार 872 (10%) शहरों में रहते हैं। आँकलन के अनुसार, आदिवासी, देश के 15 फीसदी भू-भाग में फैले हुए हैं। जनजातीय लोगों की जनगणना 2001 से 2011 के बीच की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 23.66% रहा है जो कि पूरी आबादी का 17.69% है। कुल आबादी के लिए लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं और अनुसूचित जनजाति में 990 महिलाएं प्रति हजार पुरुष हैं[2]। मोटे तौर पर एसटी दो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र -मध्य भारत और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बसे हुए हैं। संख्यात्मक दृष्टि से सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य-प्रदेश में रहते हैं और सबसे कम आबादी केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में है। मध्यप्रदेश में मुख्य आदिवासी समूह गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भरिया, हल्बा, कोल, मारिया, माल्टो और सहरिया हैं। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात मध्यप्रदेश में 3 जनजातियों (बैगा ,भरिया ,सहरिया) को विशिष्ट पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, इन्हीं में से एक जनजाति है' सहरिया' जो मध्यप्रदेश के उत्तर-पश्चिम भाग में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, भिण्ड, श्योपुर, मुरैना तथा दतिया जिले में रहती है। चंबल संभाग में सहारिया, जो मप्र में कुल जनजातीय आबादी का %2.7 है, आदिम जनजाति में से एक है। वे अधिकांश गाँवों से दूर झोपड़ियाँ या अपने छप्पर वाले घर बनाकर निवास करते हैं और वे आमतौर पर मजदूरी एवं कृषि कार्य में लगे हुए हैं[3]। मध्यप्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में सहरिया जनजाति पाई जाती है। उन्हें भील के छोटे भाइयों के रूप में भी जाना जाता है। सहरिया मध्यप्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है, इस कारण सरकार ने इस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया। सामाजिक परिवर्तन, वनों का अतिक्रमण और तेजी से शहरीकरण के कारण सहरिया जनजाति अपनी आदिम प्रकृति और स्थिति खो रही है। लेकिन आजकल वे अपनी पिछली अर्थव्यवस्था को बदलने जा रहे हैं और बसे हुए खेती द्वारा खाद्य उत्पादन के स्तर पर आ रहे हैं। वे आमतौर पर कृषि श्रम (मजदूरी) से जुड़े होते हैं, इसके अलावा, वे टोकरी, चटाई, विभिन्न पत्ती प्लेट, रस्सियां, आदि बनाने में बहुत कुशल हैं। वर्तमान से ही सरकार द्वारा सहरिया विकास प्राधिकरण बनाये गये है[4]।

हालाँकि सरकार सहरिया जनजाति को राहत प्रदान करने का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत कठिन श्रम करने और खाली पेट रहने के बावजूद भी, उन्हें लगभग कई महीनों के वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। किसी को नहीं पता है कि उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इस स्थिति में उनकी आंतरिक शक्ति और प्रचलित राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली द्वारा इन्हें इतना कमजोर कर दिया गया है कि वे एक साथ खड़े भी नहीं हो सकते हैं और न ही अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। बेशक, इन परिस्थितियों में, रोजगार के कानूनी अधिकार का प्रावधान' सहरिया' जनजाति के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, यह अधिकार न केवल उनके पलायन को कम कर रहा है, बल्कि उनके कुपोषण की समस्या से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सी पी चंद्रशेखर और जयति घोष के अनुसार, "नरेगा आवश्यक रूप से आर्थिक दृष्टि से सबसे बुनियादी स्तर पर समावेशी है, क्योंकि जो लोग दैनिक मजदूरी के लिए कठिन शारीरिक श्रम में संलग्न हैं, वे दूसरे शब्दों में समाज के वर्गों में वे सबसे गरीब हैं। "लेकिन यह सामाजिक रूप से भी समावेशी है, इसलिए, इस योजना में महिलाओं, एससी और एसटी को भी शामिल किया गया है[5]। किसी भी समुदाय या समाज का विकास तभी संभव है जब लोग विकास कार्यक्रम में भागीदारी करें। कई समस्याओं के कारण आदिवासी समुदाय बहुत वंचित है इसलिए पिछले दशक से केंद्र और राज्य सरकार आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू कर रही है।

मनरेगा उन योजनाओं में से एक है जिसे दुनिया में सबसे बड़े कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है जिसे एक अधिनियम के रूप में लागू किया गया है। वर्तमान हालातों ने देश में जनजाति के अत्यधिक आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन ने राज्य और केंद्र सरकारों का ध्यान खींचा है। जनजातियों के उत्थान के लिए कई सामाजिक-आर्थिक उपाय भारत द्वारा औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के तहत शुरू किए गए थे फिर भी विभिन्न आयोगों के प्रयास और विधायी उपाय व्यर्थ साबित हुए हैं। जनजाति के शोषण से बचाने के उद्देश्य से कई विकासात्मक गतिविधियां हैं जो उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करने के लिए होती हैं, उम्मीद के अनुसार सार्थक परिणाम नहीं मिले हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1980-89), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (1983-89), जवाहर रोजगार योजना (1989-1990), रोजगार आश्वासन योजना (1993-99), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (1999-2002), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001), राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम (2004) आदि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनाएं थीं।. इनमें से 2005 में नरेगा में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम को सम्मिलित कर दिया गया है। अपर्याप्त रोजगार , गरीबी के परिणामस्वरूप पलायन और सूखे पड़ना आदि इन समस्याओं का समाधान करने के परिप्रेक्ष्य में 'संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार' (UPA) कि एक महत्त्वपूर्ण महत्वकांक्षी कार्यक्रम "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" (नरेगा) 7 सितम्बर, 2005 को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। 2 फरवरी, 2006 को 'अनन्तपुर जिले' (आन्ध्रप्रदेश) में स्थित 'बदलापल्ली गाँव' से इसकी शुरूआत हुई। प्रथम चरण में 200 जिले लक्षित किए गए, निस्संदेह यह मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता के लोगों को 100 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार के लिए कानूनी अधिकार सुनिश्चित कर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान करना है। 2008 के बाद से इस अधिनियम ने पूरे देश को कवर किया। अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था[6]।

MGNREGA का उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41" नागरिक को काम करने का अधिकार देना "में दिया गया हैं | निम्नलिखित कारणों से अधिनियम महत्वपूर्ण है :पहले के रोजगार कार्यक्रमों ने नौकरी की कोई गारंटी नहीं दी थी, इस अधिनियम ने गारंटीकृत नौकरी प्रदान की। मजदूरी रोजगार के लिए यह गारंटी अब पूरे देश में समान रूप से लागू है। यह एक विकास की पहल है, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण आवश्यक सार्वजनिक निवेश के साथ, विकास प्रक्रिया के बिना ग्रामीण भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्र में संभव नहीं हो सकता है। लगभग सभी पिछले कार्यक्रम जो कि मांग आधारित के बजाय आवंटन आधारित है। MGNREGA, इन सभी दृष्टिकोणों से अद्वितीय माना जाता है। MGNREGA का प्रमुख तत्व राज्य द्वारा उन लोगों के लिए रोजगार का प्रावधान है, जो वैकल्पिक रोजगार पाने में असमर्थ हैं, यह ग्रामीण बेरोजगारों को सामाजिक सुरक्षा का एक रूप प्रदान करता है। अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम में, किसी को भी श्रमिक के रूप में रखा जा सकता है जबकि MGNREGA में केवल जॉब कार्ड धारक जो रोजगार के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें मजदूर के रूप में लगाया जाता है। अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम में कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन MGNREGA में रोजगार मांग के 15 दिनों के भीतर, तथा भुगतान भी काम के 15 दिनों के भीतर दिया जाएगा। अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम में रोजगार की अवधि एजेंसी द्वारा लागू की गयी अवधि पर निर्भर करती है, जबकि MGNREGA में एक जॉब कार्ड धारक अधिकतम 100 दिनों के लिए आवेदन करता है। इस अधिनियम की अन्य प्रमुख विशेषतायें श्रम गहन कार्य, विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना, महिलाओं के सशक्तिकरण, कार्य-स्थल पर प्रदान की गयी सुविधाएं, सामाजिक अंकेक्षण और सूचना के अधिकार का प्रावधान पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग गहन निगरानी और तेजी से निष्पादन के माध्यम से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए माना जाता है। बैंक और डाकघर खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान, जो कार्यान्वयन एजेंसियों की ओर से मस्टर रोल की धोखाधड़ी को कम करता है क्योंकि वास्तविक भुगतान उनकी पहुंच से परे हैं[7]।

सभी समुदायों में जनजाति समुदाय बुनियादी जरूरतों के मामले में बहुत पीछे है। इस प्रकार, प्रस्तावित अध्ययन में, आदिवासी समुदाय में इस योजना के प्रभाव का आकलन किया जाएगा कि यह कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद , मनरेगा के आंकड़ों में जनजाति समुदाय की भागीदारी अनुसूचित जाति के बाद दूसरे स्तर पर है। भारत सरकार ने आदिवासी लोगों के जीवन के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं लेकिन आदिवासी समुदाय में इतना विकास नहीं हुआ है।

मूल रूप से, भारत इस समुदाय के लिए विकासशील देश है। इस शोध में अनुसूचित जनजाति के लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गरीबी दूर करने ,रोजगार पैदा करने, पलायन रोकने के लिए ग्रामीण लोगों के जीवन के उत्थान के लिए SGMGNRE का गठन किया। यह योजना कारकों में सुधार के लिए मदद कर सकती है। यह समय-समय पर श्रम शक्ति के आघात के साथ होता है, विशेष रूप से सीमांत मजदूरों की ओर से, अक्सर महिलाएं, जो घरेलू काम के रूप में संलग्न की जाती हैं, को भी श्रमिक के रूप में जोड़ दिया जाता है। क्योंकि सहरिया जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जारी समस्या के एक और आयाम में स्कूल के लिए बच्चों को आकर्षित करना भी चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि वो भी किसी न किसी तरह के काम में जुड़े रहते हैं। ये सभी तथ्य हमारे देश में ग्रामीण आबादी की सुरक्षा के लिए सरकार से सुरक्षा और सहानुभूति के लिए स्पष्ट हैं। यह अधिनियम मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के हस्तक्षेप तंत्र के दृष्टिकोण और डिजाइन दोनों में आमूल-चूल परिवर्तन लाया है। अधिनियम का सार यह है कि अधिनियम के अनुसार कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान कर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रमुख आर्थिक गतिविधियां अनियमित और रुक-रुक कर और मौसमी उतार-चढ़ाव से ग्रसित हैं। आदिवासियों का विकास उनके श्रम और सक्रिय भागीदारी से होना चाहिए। किसी भी योजना को शुरू करने से पहले इस योजना का उपयोग करने के लिए जनजातीय लोगों की व्यवहारिकता और योग्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए[8]। मनरेगा के तहत कम कृषि कार्य मौसम के दौरान सम्बंधित परिवारों का अधिक से अधिक उपयोग किया गया है राज्य में पूरे वर्ष भर काम की माँग रही है ग्रामीण सन्दर्भ में भी यदि गैर कृषि कार्य से भिन्न अन्य कार्य जो भूमिहीन व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है तो उनकी इस परेशानी को कम करने के लिए और उन्हें जीवन-यापन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गाँधी राष्टीय रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य की माँग वास्तव में अनिवार्य हो सकती है[9]। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में किए गए अध्ययनों में बताया गया है कि कई गांवों में पलायन कम हुआ है और कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जिलों में महिलाओं की भागीदारी में भी काफी वृद्धि हुई। यह योजना भारत में विभिन्न राज्यों में पलायन को कम करने और मजदूरी दर बढ़ाने के लिए काफी मददगार है[10]। हाल के वर्षों में मनरेगा के विभिन्न मूल्यांकन की समीक्षा करते हुए, ड्रेज़ (2010) ने कहा कि जिन स्थानों पर रोज़गार उपलब्ध है, वहाँ मनरेगा 'ग्रामीण गरीबों के लिए नई जीवनरेखा' है[11]। इस कथन के अनुसार, ड्रेज़ और खेरा (2009) ने उत्तरी भारत के छह राज्यों में 100 वर्कशीट में लगभग 1,000 श्रमिकों का अध्ययन किया तथा उनके निष्कर्षों से पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति श्रेणियों में 73% श्रमिकों के साथ मनरेगा सबसे गरीब वर्ग तक पहुँच गया है[12]। उपर्युक्त वक्तव्य के अनुसार यह योजना मूल रूप से ग्रामीण जनता में पलायन बंद करने के लिए तैयार की गई है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों का पलायन रोकने हेतु। किम बोनर एट अल (2012) ने अपने पत्र में कहा कि योजना से संबंधित अपने अध्ययन के आधार पर सुझाव के रूप में एमओआरडी से प्राप्त आंकड़ों के दिनों की संख्या के अनुसार काम के दिनों की संख्या के अनुपात पर; MoRD को एक स्वतंत्र अध्ययन प्रणाली के साथ MGNREGA प्रगति को समझने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना चाहिए और महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिशु-गृह सेवा जैसी सुविधाओं का निर्माण करना चाहिए[13]। अजीत घोष (2012) ने अपने अध्ययन में रोजगार से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करते हुए तर्क दिया है कि मनरेगा के दो तरीके हैं जिससे ग्रामीण लोगों की धन आय बढ़ेगी। पहला यह सीधे तौर पर गरीब ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करनी चाहिए और दूसरा श्रमिकों की मांग को बढ़ाना चाहिए और लगातार न्यूनतम मजदूरी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी दर में वृद्धि करनी चाहिए[14]। एक अन्य अध्ययन में आधार और मनरेगा सम्बन्ध के बारे में कहा गया है कि वे एक दूसरे के लिए बनाए जाते हैं; मनरेगा से संबंधित सबसे मजबूत पहल बैंक और डाकघर खातों के माध्यम से मजदूरी का अनिवार्य भुगतान शामिल है। 'आधार' यूआईडी कार्ड पर आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली के अनुसार बैंक और व्यापार संवाददाताओं को सर्वोत्तम उपयुक्तता प्रदान करेगा, इसके अलावा, इससे मनरेगा मजदूर को भी सुविधा होगी[15]। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस योजना से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। इसी प्रकार आदिवासी आबादी पर मनरेगा योजना के प्रभाव पर महाराष्ट्र में संपन्न किये गए एक अध्ययन में वाल्वी एस (2015) ने खुलासा किया कि इस योजना ने जनजातियों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। अध्ययन में पाया गया कि उनके घरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और कृषि काल के दौरान उत्पन्न असुरक्षा के झटके कम हुए हैं और पलायन भी कम हुआ[16]।

सी मसेनामा एवं ए चौधरी (2017) ,ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला कार्यकर्ताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर अपने अध्ययन में पाया कि इस योजना ने अनुसूचित जाति की महिलाओं की तुलना में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को अधिक आकर्षित किया है[17]। जिन क्षेत्रों में विकास को देखा जाता है वहां अंतर-क्षेत्रीय प्रवासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कि अब जन-सांख्यिकीय कारकों द्वारा तेजी से बढ़ रहा है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि विकास सिद्धांत मुख्य धारा से भटक गया है क्योंकि अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या को वर्ग एवं सामाजिक रूप से विभाजित किया जाता है और यह विभेदीकरण एक ओर भूमि और भौतिक संपत्ति के वितरण के साथ तथा दूसरी तरफ मानव पूँजी से नजदीकी से जुड़ा हुआ होता है। ग्रामीण पिरामिड के तल पर स्थित ये सामाजिक-आर्थिक समूह भेदभाव का सामना करते हैं जिसमे वो अपने अनिश्चित रोजगार को बचने हेतु संघर्ष करते हैं और जब खंडित श्रम बाजार में जब वो अपना रोजगार नहीं बचा पाते तो दूसरी जगह प्रस्थान करते हैं[18]। बुंदेलखंड क्षेत्र मध्यप्रदेश का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है यहाँ पर मनरेगा में काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को 100दिनों के काम की गारंटी प्रदान नहीं की जा रही है। इस क्षेत्र में मनरेगा के क्रियान्वयन में भी कई अनियमितताएं पाईं गयी[19]।

इस मुद्दे उजागर करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि MGNREGS दुनिया की उन योजनाओं में से एक है जिसे भारत में लागू किया गया है। हमारे अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनजातियां मूल जरूरतों से पीड़ित हैं। इसलिए यह योजना के द्वारा देखा जा सकता है कि यह योजना सहरिया आदिवासी सामुदायिक क्षेत्रों की विभिन्न परिसंपत्तियों के साथ-साथ उनके रहने की स्थिति को बढ़ाने में कैसे मदद करती है ?हम मानते हैं कि जनजातियों के लोग मुख्यधारा से बहुत पीछे हैं और विकास के संसाधन की कमी है इसलिए इस योजना की दूरदराज के क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। योजना का फोकस मुख्य रूप से ग्रामीण रोजगार और परिसंपत्तियों के निर्माण पर है। जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा 90:10 के अनुपात में बजट साँझा कर 100 दिन के काम की प्रति घर को गारंटी दी जाती है। मनरेगा की दैनिक मजदूरी को हाल ही में केंद्र सरकार ने बढाकर Rs 202 कर दिया है , परन्तु अभी भी राज्यों के द्वारा दी जा रही मजदूरी दरों में काफी विसंगतियाँ हैं। मनरेगा के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय को अधिक प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है[20]। मनरेगा से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के बाद गरीबी पलायन का एक प्रमुख कारण रहा है, जबकि मनरेगा के कार्यान्वयन के बाद रोजगार के बेहतर अवसर मिलने से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन की मात्रा कम हो गई थी। अतः वर्तमान शोध-कार्य के नतीजों से यह कहा जा सकता है कि यह योजना ग्रामीण-शहरी प्रवास कम करने हेतु एक बड़ा कदम हो सकती है जैसा कि पूर्व की विभिन्न रिपोर्टों से भी स्पष्ट हुआ है। कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि यदि ग्रामीण लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जायें तो मनरेगा के परिणामों में वृद्धि हो सकती है[21]। कोरोना 19-महामारी के समय भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एवं बेरोजगार मजदूरों को आजीविका सुरक्षा की आशा दिलाने के लिए सरकार ने मनरेगा का सहारा लिया। राज्य-सरकारों ने भी मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को मास्क , सेनिटाइजर,साबुन एवं मेडिकल किट तथा अन्य सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के साथ काम करने की अनुमति प्रदान की[22]। मनरेगा से गरीब जनजातीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार ,बुनियादी ढांचे में सुधार तथा सतत विकास के साथ-साथ कई सकारात्मक बदलाव लाये गये है। अनुसूचित जनजाति की जीवन शैली में मनेरगा का प्रभाव सकारात्मक है। मनरेगा के साथ अनुसूचित जनजाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी विकसित हो रही है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि यदि मनरेगा योजना को कानूनों के प्रति जवाबदेही और दायित्व से क्रियान्वित किया जाता है, तो यह देश के समावेशी आर्थिक विकास में कुशलता से योगदान दे सकता है। यह पहली बार था जब किसी देश ने इस प्रकृति और पैमाने का कानून पारित किया है, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए विशेष रूप से भारत के आदिवासी समुदाय हेतु रोजगार, आजीविका की सुरक्षा, का निर्माण हुआ हो। यह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे और बहुत कम आय के साथ और उनके उत्थान जीवन के लिए किसी भी रचनात्मक अवसरों के बिना रह रहे हैं। प्रस्तावित लेख में पलायन को रोकने ,गरीबी उन्मूलन के लिए सृजित रोजगार में योजना के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है और इस तरह योजना में सुधार और कार्यान्वयन के लिए सुझाव प्रदान किया गया है। इस अध्ययन से ग्रामीण जनता में जनजातियों के विकास को सुगम बनाने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी।

शोध प्रविधि

यह लेख इस बात का आंकलन करने के लिए निर्धारित करता है कि यह योजना किस हद तक वंचित समूहों, विशेष रूप से सहरिया जनजाति के लोगों को गारंटीकृत रोजगार के माध्यम से अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके सशक्तिकरण में सक्षम

है। इसके अलावा, एक सैद्धांतिक सवाल पूछा जाता हैं :क्या मनरेगा कार्यक्रम ने जनजातियों के जीवन स्तर को प्रभावित किया है? इस केस स्टडी में गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन का उपयोग करते हुए, एक अध्ययन से निष्कर्ष के माध्यम से इन सवालों का जवाब देने का प्रयास किया गया हैं जिसमें दो तरह से डेटा संग्रह प्रक्रिया शामिल हैं। प्राथमिक डेटा मनरेगा के सभी 150 जनजातीय हितधारकों से एकत्र किया गया था। सबसे पहले, नीतियों के प्रमुख लक्ष्यों को समझने के लिए MGNREGA नीति दस्तावेजों की समीक्षा की गयी। दूसरा मध्यप्रदेश के दतिया जिले के ग्रामीण जनजातीय इलाकों में जहाँ मनरेगा कार्यक्रम भी संचालित था और गरीबी की दर भी उच्च थी वहां के सहरिया जनजाति के लोगों पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया। सांख्यिकीय उपकरणों जैसे आवृत्ति तालिका, सरल प्रतिशत, अंकगणित का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया गया था। एक विकल्प के रूप में, मध्यप्रदेश राज्य में एक शोध-स्थल दतिया जिले का गहराई से, गुणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया हैं। दतिया ,भांडेर एवं सेवड़ा दतिया जिले से चयनित ब्लॉक थे। अध्ययन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में से ज्यादातर जनजाति बहुल वर्चस्व वाली दो-दो ग्राम पंचायतों को अनियमित रूप से चुना गया था।

इनमें से प्रत्येक ब्लॉक से जनजातीय लोगों के 50 नमूनों का चयन किया गया। यादृच्छिक नमूने के आकार पर दतिया जिले में से कुल 150 जनजातीय मनरेगा श्रमिक यानी लाभार्थी शामिल किये गये थे। वर्तमान अध्ययन में प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए सरल यादृच्छिक नमूना पद्धति (रैंडम सैंपलिंग) का पालन किया गया इस केस स्टडी का योगदान विशेष कारकों या सफलता के संकेतकों को अलग करने का दावा नहीं करता है। इसमें तो बस नीति के अंतिम उपयोगकर्ताओं) यानी, ग्रामीण स्थलों में जनजातीय लोग (के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों को स्थानीय संदर्भों और इन क्षेत्रों में नीतियों को लागू करने के तरीकों के बारे में धरातलीय जानकारी प्रदान की गयी है। इस दृष्टिकोण का उपयोग करना शोधकर्ता को नए की खोज करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि अभी तक अनजाने में, एक विशेष नीति हस्तक्षेप के तत्व जो अन्य मैक्रो-स्तरीय दृष्टिकोणों में अनदेखी हो सकते हैं। हालाँकि निष्कर्ष पूरे भारत में, या एक राज्य में जिसमें अध्ययन आयोजित किया गया था, पूर्णरूपेण सामान्य नहीं हैं, हम मानते हैं कि इस मैक्रो-स्तरीय दृष्टिकोण से प्राप्त अंतर्दृष्टि मनरेगा नीति के कुछ पहलुओं की समझ को बढ़ाएगी।

खोज

तालिका**-1:** लाभान्वित दतिया मनरेगा मजदूरों की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा

ब्यौरे	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
शैक्षिक स्थिति		
अशिक्षित	84	56%
प्राइमरी	60	40%
माध्यमिक	03	02%
हाई स्कूल	03	02%
हायर सेकेंडरी	00	00%
स्नातक	00	00%
लिंग		
पुरूष	72	48%
महिला	78	52%
कार्ड का प्रकार		
APL	00	00%
BPL	45	30%
अन्त्योदय	105	70%
आयु-वर्ग		
18-30	48	32%
31-40	81	54%
41-50	15	10%
>60	06	03%
व्यवसाय		
मजदूर	96	64%
कृषि	45	32%
अन्य सर्विस/	06	04%

तालिका :**2** जनजातियों की आर्थिक स्थिति पर मनरेगा का प्रभाव.

दतिया		
ब्यौरे	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
(i)क्या MGNREGA के तहत काम करने के बाद आपकी आय में कोई बदलाव आया है?		
1.काफी बढ़ गया	54	36%
2.कुछ बढ़ा	66	44%
3.कुछ बदलाव नहीं	30	20%
(ii)अतिरिक्त आय की उपयोगिता पर लाभकारी अनुमानित घरों की क्या प्रतिक्रिया रही ?		
1. खाना	63	42%
2. स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा/	18	%12
3. वस्त्र	18	12%
4. शिक्षा	12	08%
5. शराबतम्बाकू/	18	12%
6. ऋण चुकौती	12	08%
7. संपत्ति का निर्माण	03	02%
8. सामाजिक दायित्व	03	02%
9. घर का रखरखाव	03	02%
(iii)योजना के तहत कार्य करने के बावजूद आप बचत क्यों नहीं कर पा रहे?		
1.कम आमदनी	72	48%
2.दैनिक वस्तुओं पर अधिक निवेश	45	30%
3.अन्य	33	22%

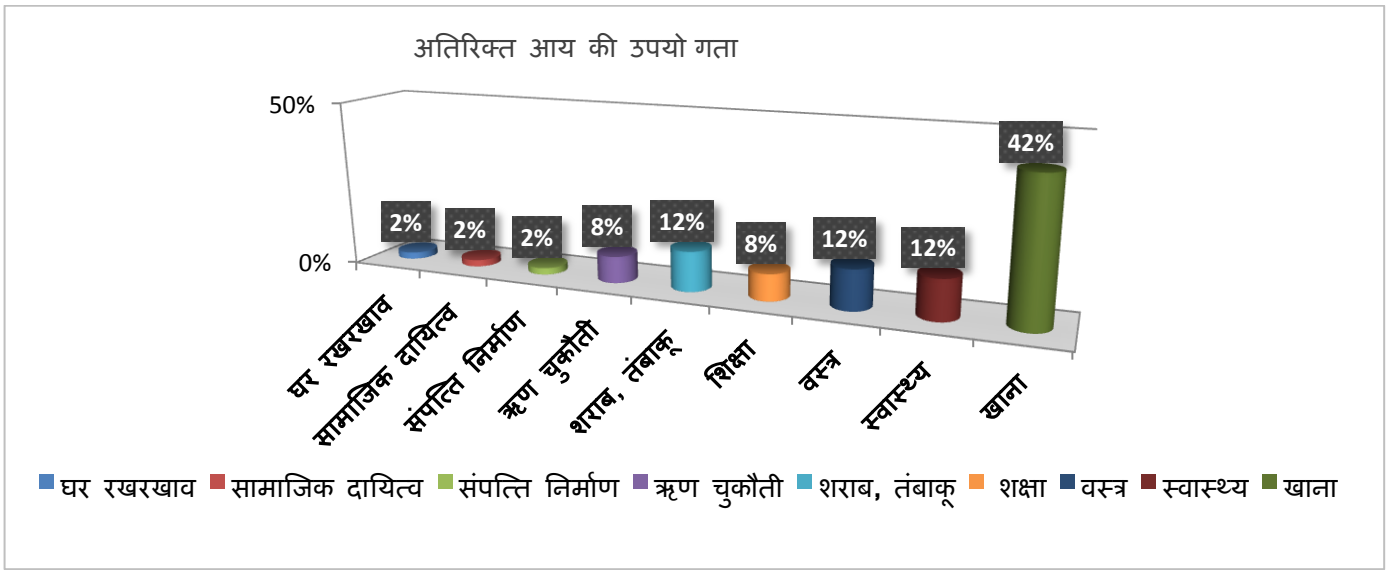

चार्ट :**1**-दतिया जिले में जनजातीय हितग्राहियों की अतिरिक्त आय की उपयोगिता

प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण अनुसार दतिया जिले में 36% लोगो की आय में काफी बढ़ोतरी हुई जिसका उपयोग उनके द्वारा भोजन , स्वास्थ्य ,वस्त्र ,शिक्षा तथा ऋण चुकाने सम्बंधित कार्यों पर किया गया है। अतः यह माना जा सकता है कि मनरेगा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद कर रहा है जैसे चिकन, अंडा, दूध, मछली, फल *आदि* उच्च मूल्य वाले खाद्य पदार्थों को खरीदने पर खर्च में वृद्धि हुई तथा मनोरंजक गतिविधियां जैसे-मोबाइल ,फिल्में, पर्यटन आदि देखने तथा सबसे महत्वपूर्ण जिसमें बच्चों को शिक्षित करने संबंधी जागरूकता बढ़ गई है। क्योंकि कुछ सहरिया श्रमिकों ने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा खर्च किया था। जबकि कुछ लाभार्थी इसके लिए राशि नहीं जोड़ पा रहे थे क्योकि मजदूरी दर कम मिलने के कारण श्रमिकों की बचत मुख्य रूप से ऑफ सीज़न और अप्रत्याशित जरूरतों में व्यय को पूरा करने लायक ही थी। साथ ही गाँव पर भी मनरेगा के प्रभाव को देखा गया है जिसके तहत ग्रामीण संपर्क ,भूमि सुधार ,जल स्तर ,प्रवासन में कमी को भी देखा गया है। (चार्ट-1,2)

जनजातीय उत्तरदाताओं के बीच मनरेगा कामकाज की प्रभावशीलता का पता लगाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के बारे में उत्तरदाताओं से सीधे सवाल पूछे गए थे और संबंधित बयान के साथ असहमति की डिग्री के अनुसार स्कोर भी उन्हें सौंपा गया था। दतिया में, कोई भी उत्तरदाता बहुत कम और कम प्रभावशीलता श्रेणी के अंतर्गत नहीं पाया गया। बहुसंख्यक उत्तरदाता (59.4%) एक मध्यम कथित प्रभावशीलता श्रेणी के थे, उत्तरदाताओं का 28.7% उच्च प्रभावशीलता श्रेणी का था और उत्तरदाताओं का 12% बहुत उच्च प्रभाव शीलता श्रेणी से संबंधित था[23]।

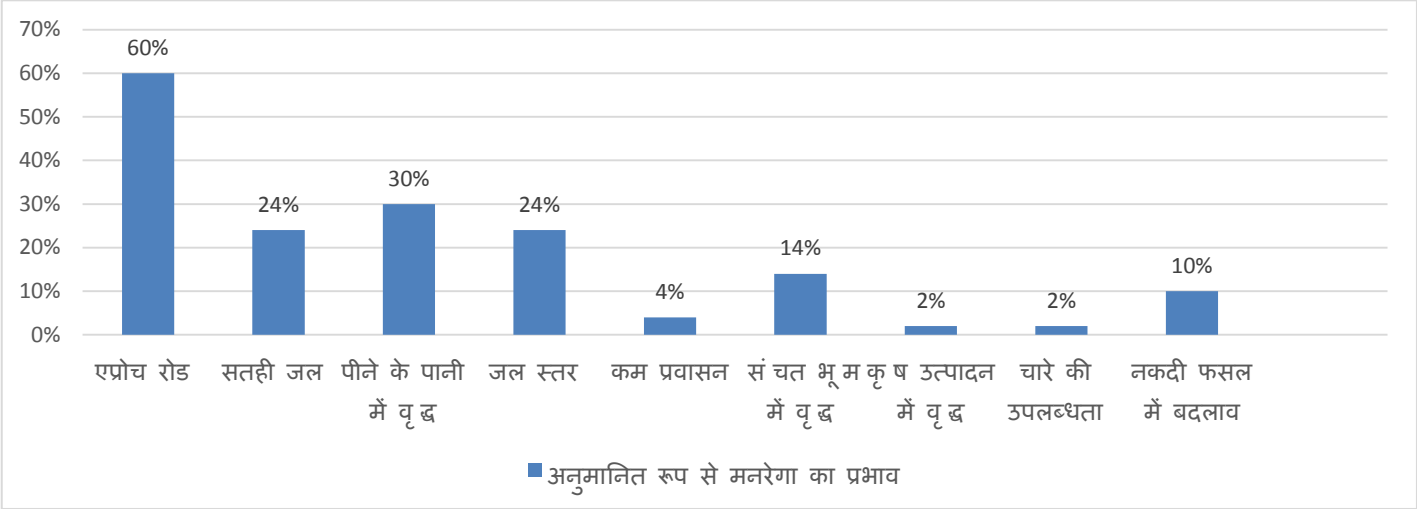

चार्ट :2-दतिया जिले के गाँव पर मनरेगा का प्रभाव

	दतिया	
माध्य	64.88	
मानक विचलन	10.04	
सीमा	49 से 83	
श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
बहुत कम (0-20)	0	0
कम (21-40)	0	0
मध्यम (41-60)	89	59.34
उच्च (61-80)	43	28.67
बहुत उच्च (81-100)	18	12
कुल	150	100

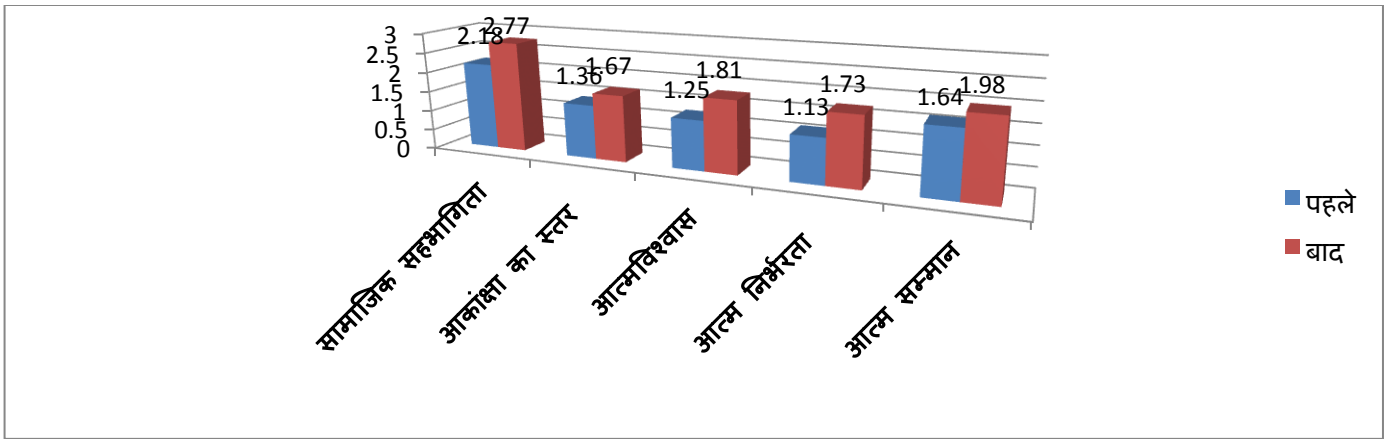

चार्ट **:3**-मनरेगा (दतिया) से पहले और बाद में सामाजिक भागीदारी पर उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक

सशक्तिकरण सूचकांक के अनुसार, मनरेगा के बाद सामाजिक-आर्थिक और व्यक्तिगत स्थिति में वृद्धि हुई है। (3-चार्ट) दतिया जिले में उत्तरदाताओं के बढ़े हुए औसत स्कोर को दर्शाता है। मनरेगा से पहले सामाजिक भागीदारी में औसत स्कोर क्रमशः 2.18 था जो मनरेगा के बाद बढ़कर हो 2.77 गया। उसी तरह, आकांक्षा के स्तर में औसत स्कोर 1.36 जो क्रमशः बढ़कर 1.67 हो गया। इन सभी विवरणों से संकेत मिलता है कि मनरेगा ने उत्तरदाताओं के बीच सशक्तिकरण को बढ़ाया है। मनरेगा कार्यों के साथ जवाबों की आजीविका सुरक्षा को जानने का एक और प्रयास किया गया। प्राप्त परिणाम नीचे दिखाया गया है।

निष्कर्ष

मनरेगा ने आजीविका के अवसरों के सृजन के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों (सहरिया) के उत्थान में भी मदद की है। मनरेगा को 2005में विश्व-बैंक ने दुनिया के सबसे बड़े लोकनिर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी थी।

श्रमिकों के व्यवसाय-वर्गीकरण के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भूमिहीन सहरिया मजदूरों की मनरेगा मजदूरों के रूप में बड़ी हिस्सेदारी रही है उनके पास मनरेगा कार्य के अलावा कोई और अन्य अधिक आय प्रदान करने वाला स्रोत आजीविका हेतु नहीं रहा।

मनरेगा श्रमिकों के रूप में काम करने वाली ज्यादातर महिला सहरिया श्रमिक थीं ,तथा पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी दरों में कोई अंतर नहीं था। सहरिया जनजाति की महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है क्योंकि ज्यादातर महिलाओं द्वारा मजदूरी की जाती है अतः मनरेगा में मजदूरी (रोजगार) मिल जाने से उनकी सामाजिक ,आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया है। मनरेगा ग्रामीण गरीब जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है।

आयु वितरण के सम्बन्ध में श्रमिकों की अधिकतम संख्या 40-31वर्ष की आयु वर्ग की रही है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस योजना में ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग के कार्यकर्ता काम करते है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 30-18 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिकों की संख्या में बढोतरी हुई है।

लाभार्थियों के रोजगार पर मनरेगा के प्रभाव के अध्ययन में पाया कि , केवल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी के प्रावधान में वृद्धि की जानी चाहिए क्योंकि सहरिया जनजाति को औसतन काम देने से उनका आर्थिक जीवन व्यवस्थित नहीं हो सकता है क्योंकि वह अपनी कार्यक्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि यदि ग्रामीण लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जायें तो मनरेगा के परिणामों में वृद्धि हो सकती है।

जनजातीय लाभार्थियों की आय पर मनरेगा के प्रभाव के अध्ययन से ज्ञात होता है की मनरेगा से पहले घरों की कृषि से प्राप्त आय ,गैर-कृषि कार्य जैसे मजदूरी ,गृह निर्माण आदि से प्राप्त कुल औसत वार्षिक आय और मनरेगा के बाद की कुल औसत वार्षिक आय जो कि पहले से ज्यादा देखी गयी है। यह स्पष्ट होता है कि MGNREGS से जनजातीय परिवारों की आय की स्थिति प्रभावित हुई है तथा बचत करना भी संभव हो सका है

सहरिया जनजाति के लोगों में ग्रामीण-शहरी प्रवास को जिले के बाहर, जिले के भीतर और राज्य के बाहर भी देखा गया है। MGNREGS के लागू

होने के बाद प्रवासियों की संख्या कम हो गई थी कार्यक्रम की शुरूआत के पहले और बाद की तुलना करके इसका परीक्षण किया गया है जिसमे पाया गया कि उसी जिले के दूसरे शहरों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या में काफी कमी आई थी तथा अन्य जिलों और राज्यों के प्रवास पर भी मनरेगा का प्रभाव पड़ा। मनरेगा से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के बाद गरीबी पलायन का एक प्रमुख कारण रहा है, जबकि मनरेगा के कार्यान्वयन के बाद रोजगार के बेहतर अवसर मिलने से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन की मात्रा कम हो गई थी। मनरेगा योजना के नतीजों से यह कहा जा सकता है कि यह योजना ग्रामीण-शहरी प्रवास कम करने हेतु एक बड़ा कदम हो सकती है जैसा कि पूर्व की विभिन्न रिपोर्टों से भी स्पष्ट हुआ है। मनरेगा के बाद अधिक आकर्षक मजदूरी दरों के कारण फिर से कुछ मनरेगा गतिविधियों में जनजातीय मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है इसके अंतर्गत किया जाने वाला काम कृषि गतिविधियों के काम की तुलना में आसान होता है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 16-2015 से वर्ष 19-2018 तक मनरेगा के तहत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में क्रमशः वृद्धि देखने को मिली है। अर्थात मनरेगा के क्रियान्वयन से ग्रामीण लोगों के रोजगार और आजीविका की तलाश में शहरी क्षेत्रों के प्रवास पर प्रभावी अंकुश लगा है।

जनजातीय मजदूरों के बीच मनरेगा कामकाज की प्रभावशीलता का पता लगाने पर ज्ञात होता है कि अधिकतर सहरिया जनजातीय मजदूर एक मध्यम प्रभावशीलता की श्रेणी के थे बहुत कम और कम प्रभावशीलता श्रेणी के अंतर्गत सहरिया श्रमिकों का स्तर कम पाया गया। इसलिए मनरेगा कार्यों की प्रभावशीलता में एक बड़ा बदलाव है। इस योजना के बारे में पसंद और नापसंद के लिए जिम्मेदार कारक भी मिली प्रतिक्रिया जुली-प्राप्त थे। योजना को पसंद करने के लिए प्रमुख कारकों में काम करने का अपना सुविधाजनक समय, महिलाओं के लिए आसान काम ,बैंक खातों या डाक खातों के माध्यम से मजदूरी और बराबर भुगतान प्रमुखतः से शामिल थे, तथा मजदूरी दर का कम होना, केवल 100 दिनों के काम की कानूनी गारंटी, पुरुषों और महिला श्रमिक दोनों के लिए मजदूरी दर भले ही समान परन्तु काम के प्रकार में भिन्नता और कार्य स्थल का स्थान आवासीय स्थान से दूर होना भी मनरेगा नापसंद के कारकों में प्रमुखतः से शामिल थे।

मनरेगा के तहत जनजातीय लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक और व्यक्तिगत स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया गया जिससे यह ज्ञात हुआ कि मनरेगा के बाद उनकी सामाजिक-आर्थिक और व्यक्तिगत स्थिति में वृद्धि हुई है अर्थात जनजातीय मजदूरों का सशक्तिकरण भी संभव हुआ है। उसी तरह, आकांक्षा के स्तर में भी बढोतरी देखी गयी है इन सभी सूचकांक जिनमें सामाजिक सहभागिता ,आकांक्षा का स्तर, आत्म-विश्वास ,आत्म-निर्भरता , आत्म-सम्मान के विवरणों से संकेत मिलता है कि मनरेगा ने सहरिया मजदूरों के बीच सशक्तिकरण को बढ़ाया है। अतः कहा जा सकता है कि ,आर्थिक विकास सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाता है , सामाजिक प्रतिबंधों को कमजोर करता है तथा सामाजिक न्याय को स्थापित करता है।

मनरेगा कार्यों के साथ जनजातीय मजदूरों से उनसे खाद्य ,आय , पर्यावास ,शैक्षिक ,स्वास्थ्य ,सामाजिक ,पर्यावरण सुरक्षा सम्बंधित प्रश्नों के माध्यम से आजीविका सुरक्षा को जानने का एक और प्रयास किया गया। जिसमें मनरेगा के द्वारा सहरिया श्रमिकों के खाद्य सुरक्षा तथा पर्यावरण सुरक्षा का स्तर उच्चतर रहा है ध्यान देने वाली बात यह है कि, जनजातीय उत्तरदाताओं के बीच मनरेगा के बाद एक पूर्ण परिवर्तन है, उन्होंने वहां दैनिक जीवन शैली में परिवर्तन का सामना किया। उन्होंने अपनी आजीविका में जो कमियाँ देखीं है वही उन्हें बेहतर जीवन शैली के लिए सशक्त बना रही है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मनरेगा से गरीब सहरिया जनजातीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार ,बुनियादी ढांचे में सुधार तथा सतत विकास के साथ-साथ कई सकारात्मक बदलाव लाये गये है।

सन्दर्भ

1. *एनुअल रिपोर्ट* (2015). मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर . गवर्नमेंट ऑफ इंडिया . न्यू देहली ,पेज- 31।.
2. प्रशासकीय प्रतिवेदन (2018). जनजातीय कार्य विभाग . मध्यप्रदेश शासन।
3. नाईक टी (1984). *द सहरियास*, ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट .गुजरात विद्यापीठ।
4. पाण्डेय जी डी एंड तिवारी आर. एस (1993). डेमोग्राफिक कैरक्टरस्टिक्स इन ट्राइबल ब्लाक ऑफ म.प्र.

5. अरुणाचेलम पी (2011). *महात्मा गांधी नेशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एंड पावर्टी इन इंडिया.* न्यू देहली . सीरियल पब्लिकेशन , पेज5-।

6. MGNREGA, *परफोरमेन्स ,इनिशिएटिव एंड स्ट्रेटेजीज* (2017). महात्मा गांधी नरेगा डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेवलपमेंट , गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

7. राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2006).दिशा निर्देश. दूसरा संस्करण ,ग्रामीण विकास मंत्रालय दिल्ली ,भारत सरकार नई दिल्ली।

8. गोपाल कृष्णन एन एस (1985). *इम्पैक्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम फॉर कन्निकार्स:एन एम्प्रिकल स्टडी* .कोचीन यूनिवर्सिटी लॉ रिव्यु ,वॉल्यूम ,9-पेज258-237 ।

9. वसु, ए.के (2011). ग्रामीण श्रम बाजार पर ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का प्रभाव: इष्टतम प्रतिपूर्ति और कामगार. यूएसए, स्प्रिंगर।

10. माथुर एल (2007). *एम्प्लॉयमेंट गारंटी :प्रोग्रेस सो फार* . इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली ,वॉल्यूम,42- पेज20-17 ।

11. ड्रेज ,जे (2010). *एम्प्लॉयमेंट गारंटी एंड द राईट टू वर्क* .इन नीरजा गोपाल जयल एंड प्रताप भानु मेहता) एड (.द ऑक्सफ़ोर्ड कोम्पनियन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया ,ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ,न्यू देहली।

12. ड्रेज,जे एंड खेरा ,रीतिका (2009). द बेटल फॉर *एम्प्लॉयमेंट गारंटी फ्रंटलाइन 26(01)* ।

13. बोंनर किम ,डॉउम जेनिफ़र एट आल (2012). MGNREGA *इम्प्लीमेंटेशन: ए क्रॉस-स्टेट कोम्परिसन* ,द वर्कशॉप-प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी .

14. घोष अजीत के (2012). *एड्रेसिंग द एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेज*, इंडियाज MGNREGA एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग पेपर नंबर-105. इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस एंड रिसर्च यूनिट, इकोनोमिक एंड लेबर मार्केट एनालिसिस डेवलपमेंट, जिनेवा, 2011।

15. शाह मिहिर पाण्डेय वरद एट आल. (2012). MGNREGA समीक्षा: एन एन्थोलोजी ऑफ रिसर्च स्टडीज ऑन द महात्मा गांधी नेशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट .(2012-2006) ,ए रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेवलपमेंट ,गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

16. वाल्वी एस वी (2015) इम्पैक्ट ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ऑन द ट्राइबल बेनिफ़िसिअरीज . महात्मा फुले कृषि विध्यापीठ।

17. मसेनामा सी एंड चौधरी ए (2017). सोशियो-इकोनोमिक कंडीशन ऑफ SC एंड ST वीमेन वर्कर्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम) ए केस स्टडी ऑफ मदुगुला मंडल इन विशाखापट्नम डिस्ट्रिक्ट .(इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस.5-1 ,(1)4 ,

18. श्रीवास्तव रवि (2020) अंडरस्टैंडिंग सिर्कुलर माइग्रेशन इन इंडिया:इट्स नेचर एंड डायमेंशनस,द क्राइसिस अंडर लॉकडाउन एंड द रिस्पांस ऑफ द स्टेट .इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट , सेंटर फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टडीज वर्किंग पेपर सीरीज। http://www.ihdindia.org/Working%20Ppaers/2020/IHD-CES_WP_04_2020.pdf.

19. सिंह सुरेन्द्र (2013) मनरेगा 100 :डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी इन बुंदेलखंड) म.प्र (इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज.10-1 ,(4)2

20. वासुदेवन गायत्री , सिंह शानू एट आल .(2020) मनरेगा इन द टाइम ऑफ कोविड 19-एंड बियॉन्ड: कैन इंडिया डू मोर विथ लेस इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स.814-799 ,63 ,

21. गुप्ता अंजना(2019) जनजातीय मजदूरों के प्रवासन पर मनरेगा का प्रभाव (मध्यप्रदेश के दतिया जिले की सहरिया जनजाति के सन्दर्भ में एक अध्ययन), शोध दृष्टि

22. गुप्ता अंजना (2020) द रोल ऑफ मनरेगा इन टाइम ऑफ 19-COVID क्राइसिस .बौद्धिक भारत.39-34 ,8 ,

23. गुप्ता अंजना (2020) सहरिया जनजाति की आजीविका सुरक्षा में मनरेगा की भूमिका) ग्वालियर एवं दतिया जिले के सन्दर्भ में एक केस-स्टडी .(विद्यावार्ता.(35)9 ,